M-ELECTION

निरीक्षण प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

कार्यालय का नाम :– जिला निर्वाचन नजारत, मधुबनी

निरीक्षण की तिथि :– 16 / 06 / 2001

निरीक्षी पदा० का नाम :– डा० बी० राजेन्दर
भा० प्र० से०

जिला पदाधिकारी, मधुबनी

डा० बी० राजेन्द्र,भा०प्र०से०,जिला पदाधिकारी,मधुबनी द्वारा दिनांक 16-6-2001 को जिला निर्वाचन प्रशाखा,मधुबनी के नजारत का किये गये निरीक्षण से संबंधित निरीक्षण टिप्पणी ।

दिनांक 17-3-2001 को आयुक्त,दरभंगा प्रमण्डल,दरभंगा द्वारा जिला निर्वाचन प्रशाखा,मधुबनी के निरीक्षण के क्रम में दिये गये निदेश के आलोक में दिनांक 16-6-2001 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिला निर्वाचन प्रशाखा के नजारत का विस्तृत निरीक्षण किया गया ।

1- परिचय

जिला निर्वाचन प्रशाखा,मधुबनी का नजारत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी,बिहार पटना के पत्र संख्या 1534,दिनांक 2-9-97 में दिये गये निदेश के अनुसार जिला सामान्य नजारत,मधुबनी से अलग होकर दिनांक 22-12-97 से स्वतंत्र रूप से कार्यरत है ।

जिला निर्वाचन प्रशाखा का नजारत समाहर्त्ता,मधुबनी के उत्तरी छोड़ पर निर्मित स्बेस्टस के छत के मकान के कमरा नं0-36 में अवस्थित है । यह कमरा बहुत लम्बा-चौड़ा एवं हवादार है । बताया गया कि छत में कुछ स्थानों पर छिद्र हो गया है जिससे बरसात के समय छत से पानी कमरे में आ जाता है । कार्यपालक अभियन्ता,भवन निर्माण प्रमण्डल,मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि टूटे हुए स्बेस्टस को एक सप्ताह के अन्दर बदलकर अनुपालन प्रतिवेदन भेजेंगे ।

2- प्रभार

इस प्रशाखा के प्रभार में निम्नांकित पदाधिकारी उनके नाम के सामने अंकित तिथियों तक प्रभार में रहे हैं :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	अवधि
1-	श्री रघुनाथ राम,उप समाहर्त्ता,मधुबनी	22-12-97 से 31-1-98 तक
2-	श्री धर्मदेव प्रसाद सिंह,उप समाहर्त्ता,मधुबनी	1-2-98 से 3-2-98 तक
3-	श्री अनिल कुमार,उप समाहर्त्ता	4-2-98 से 13-7-99 तक
4-	श्री राम लला प्रसाद सिंह,प्रभारी उप निर्वाचन पदाधिकारी	14-7-99 से अद्यतन

वर्तमान में श्री राम लला प्रसाद सिंह,अवर निर्वाचन पदाधिकारी,सदर मधुबनी प्रभारी उप निर्वाचन पदाधिकारी

के रूप में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार पटना के पत्र संख्या 267, दिनांक 13-2-99 के निदेशानुसार नजारत के प्रभार में हैं । उप निर्वाचन पदाधिकारी के पदस्थापन नहीं होने के कारण भिन्न-भिन्न पदाधिकारी इस प्रशाखा के प्रभार में रहे हैं । श्री महेश प्रसाद सिन्हा, अपर समाहर्त्ता, भू-हदबन्दी, मधुबनी इस प्रशाखा के वरीय प्रभारी पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं । इस जिला में वर्तमान में सदर अनुमण्डल एवं बेनीपट्टी अनुमण्डल में होअवर निर्वाचन पदाधिकारी पदस्थापित हैं । झंझारपुर अनुमण्डल में पद स्वीकृत है परन्तु किसी का पदस्थापन नहीं किया गया है । नवसृजित जयनगर एवं फुलपरास अनुमण्डल में पद स्वीकृत नहीं है । दोनों अनुमण्डल के लिए पदों की स्वीकृति आवश्यक है । स्थापना उप समाहर्त्ता, मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि झंझारपुर अनुमण्डल में अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पदस्थापन एवं जयनगर तथा फुलपरास अनुमण्डल के लिए पद स्वीकृत करते हुए अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पदस्थापन हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार पटना को भेजे जानेवाले पत्र का प्रारूप दो दिनों के अन्दर उपस्थित करेंगे ।

श्री दुखी राम, वरीय सहायक इस प्रशाखा के नाजिर के रूप में दिनांक 22-12-97 से अद्यतन प्रभार में हैं । जिला निर्वाचन कार्यालय, मधुबनी के लिए दो सहायक का पद स्वीकृत है, एक वरीय सहायक एवं एक सहायक । वर्तमान में नाजिर एवं प्रधान सहायक का कार्य एक ही सहायक से लिया जा रहा है जिससे/एक सहायक से कार्य सम्पादन में कठिनाई हो रही है । निर्वाचन नजारत स्वतंत्र रूप से कार्यरत होने के फलस्वरूप एक सहायक का पद स्वीकृत होना आवश्यक है । स्थापना उप समाहर्त्ता, मधुबनी इस संबंध में समुचित प्रस्ताव एक सप्ताह के अन्दर उपस्थापित करेंगे । स्वीकृत बल के विरुद्ध दो चतुर्थवर्गीय कर्मचारी पदस्थापित हैं जिसमें से एक अनुसेवक सम्प्रति निलंबित हैं ।

3- पूर्व निरीक्षण

इस प्रशाखा के निम्नलिखित पदाधिकारियों द्वारा उनके नाम के सामने अंकित तिथियों को निरीक्षण किया गया है :-

क्रमांक	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
1-	सुश्री अमिता पॉल, आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा	17-3-2001	अप्राप्त	-

आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को छोड़कर वर्ष 1997 में निर्वाचन नजारत प्रशाखा की स्थापना के पश्चात किसी भी निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है । बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 52 एवं 80 के

अनुसार प्रत्येक नियंत्री (व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी) को अपने प्रशाखा का वर्ष में दो बार निरीक्षण करना है । प्रभारी उप निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में वर्ष में दो बार एक अर्द्धवार्षिक एवं दूसरा वार्षिक निरीक्षण सुनिश्चित करेंगे । अपर समाहर्त्ता,भू-हदबन्दी-सह-वरीय प्रभारी पदाधिकारी एवं कार्यालय अधीक्षक,मधुबनी द्वारा भी निरीक्षण नहीं किया गया है,जो चिन्ता का विषय है । उन्हें निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार निरीक्षण सुनिश्चित करें।

4- रोकड़ बही

बिहार कोषागार संहिता के नियम 86 कंडिका-1 के अनुसार सामान्य रोकड़ी बही का संधारण टी०सा०फार्म-6 में करना है परन्तु इस प्रशाखा में रोकड़ बही टी०सी०-6 में संधारित नहीं है । रोकड़ी बही का सत्यापन प्रभारी उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया गया परन्तु हस्ताक्षर के साथ तिथि अंकित नहीं है जिससे यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि यह पंजी कब प्रारम्भ की गई है ।

2015 निर्वाचन मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत पाँच उप शीर्ष है जिसके लिए अलग-अलग सहायक रोकड़ बही संधारित है । रोकड़ बही दिनांक 12-6-2001 तक सत्यापित एवं हस्ताक्षरित है । दिनांक 12-6-2001 को अवशेष राशि का सहायक रोकड़ पंजीवार विवरणी निम्न प्रकार है :-

1- 102 - मुख्यालय अधिकारी,सामान्य स्थापना	1063=60
2- 103 - निर्वाचक सूची की तैयारी एवं मुद्रण	4,70,520=80
3- 103(क) मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र	-
4- 105 सांसद का निर्वाचन	1,00,60,636=45
5- 106 विधान सभा निर्वाचन	0,56,04,161=58
कुल :-	1,61,36,382=43

अंत शेष राशि का कैश बैलेन्स की विवरणी निम्न प्रकार है :-

1- इलाहाबाद बैंक में	80,50,446=79
2- स्टेट बैंक,मधुबनी	15,21,003=97
3- अभिश्रव	06,75,515=05
4- अस्थायी अग्रिम	58,87,216=13
5- नगद राशि	2,200=49
	1,61,36,382=43

सामान्य रोकड़ बही एवं सहायक रोकड़ बही के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि कई जगहों पर अपलेखन किया गया है परन्तु अपलेखन के बाद प्रभारी उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया गया है, यह अत्यन्त ही गंभीर विषय है। अतएव निदेश दिया जाता है कि सावधानीपूर्वक लेखा का संधारण करें। यदि विशेष परिस्थिति में कटिंग हो जाय तो अपलेखन नहीं कर उक्त अंक को काटकर सुस्पष्ट अंक/अक्षर में लिखकर प्रभारी पदाधिकारी से अभिप्रमाणित करा दें।

नगद राशि 2,200=49 पैसे रखा गया है। नगद रूप में इतनी बड़ी राशि नहीं रखनी चाहिये। नगद रूप में अथवा सिंगल लॉक में 500/-रू0 से ज्यादा राशि भविष्य में नहीं रखी जाय।

बिहार बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली 80(1) 33(क) एवं बिहार कोषागार संहिता भाग-1 के नियम 86-III तथा 305(
के अनुसार प्रत्येक व्ययन पदाधिकारी को मासिक भौतिक सत्यापन करना है किन्तु रोकड़ी बही एवं सहायक रोकड़ बही के अवलोकन से प्रतीत होता है कि व्ययन पदाधिकारी द्वारा इसका मासिक भौतिक सत्यापन नहीं किया जा रहा है। प्रभारी उप निर्वाचन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि नियमानुसार मासिक भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करेंगे।

फोटो पहचान पत्र सहायक रोकड़ बही टी0सी0-6 फार्म में संधारित नहीं है।

सांसद का निर्वाचन मद में 1,00,60,636=45 पैसे अवशेष बचे हुए हैं। इस राशि के निस्तार हेतु अविलम्ब आवश्यक कार्रवाई की जाय। यदि आवश्यकता नहीं है तो इसे उचित शीर्ष जमा कर दिया जाय।

बैंकों में रखी गई राशि चालू खाता में रखी गई है। इसे बचत खाता में रखा जाय। यदि बचत खाता में राशि रखने का निदेश नहीं है तो इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार पटना से मार्ग-दर्शन की माँग की जाय।

निर्वाचन नजारत का अंकेक्षण वर्ष 1991 तक ही हुआ है। शेष अवधि का विशेष अंकेक्षण कराने हेतु वित्त विभाग से पत्राचार किया जाय एवं उसकी प्रति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार पटना को भी दी जाय।

5- अभिश्रव

जिला निर्वाचन नजारत प्रशाखा में कुल मो0 6,75,515=05 पैसे का अभिश्रव समायोजन हेतु लंबित है। इसमें से लोक सभा निर्वाचन, 1999 के विधि-व्यवस्था पर हुए व्यय का मो0 4,69,454=90 पैसे तथा विधान सभा निर्वाचन, 2000 का मो0 2,02,686=50 पैसे का अभिश्रव आवंटन के अभाव में लंबित पड़े हुए हैं। शेष लंबित अभिश्रव मो0 3373=65 पैसे

स्नातक निर्वाचन का है,जो राशि के अभाव में असमायोजित है । बताया गया कि इस कार्यालय के पत्रांक 2030, दिनांक 8-6-2001 द्वारा गृह विशेष विभाग से निधि की माँग की गई है । प्रभारी उप निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि लंबित अभिश्रवों के समायोजन हेतु आवंटन की माँग पत्र का प्रारूप दो दिनों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित करेंगे ।

अभिश्रव पंजी का अवलोकन किया । यह दिनांक 8-5-2001 तक ही हस्ताक्षरित है । बताया गया कि उक्त तिथि के बाद लेन-देन नहीं किया गया है । यदि इस बीच लेन-देन नहीं किया गया है तो शून्य मानकर ही अद्यतन करना चाहिए था । भविष्य में इसे सुनिश्चित किया जाय ।

6- अस्थायी अग्रिम

जिला निर्वाचन नजारत में मो0 58,87,216=13 पैसे अस्थायी अग्रिम के रूप में विभिन्न पदाधिकारियों/कर्मचारियों को भुगतान किया गया है जिसका समायोजन अभी तक नहीं हुआ है । सामान्य नजारत से निर्वाचन नजारत के पृथकीकरण के समय मो0 53,27,656=54 पैसे का अस्थायी अग्रिम प्रभार में मिला था जिसके समायोजन हेतु समय-समय पर विभिन्न पत्रों द्वारा संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों/संस्था को निर्देश दिया गया है ।

निरीक्षण के दौरान मात्र 40,35,483=50 पैसे अस्थायी अग्रिम की सूची उपलब्ध कराई गई । लगभग 18 लाख रूपये अग्रिम राशि की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई । यह अत्यन्त ही चिन्ताजनक स्थिति है । प्रभारी उप निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि दो दिनों के अन्दर पूर्ण सूची तैयार कर उपस्थापित करें एवं अग्रिम राशि को वापस करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर से स्मार पत्र दें कि एक सप्ताह में अग्रिम राशि के समतुल्य राशि का अभिश्रव/नगद राशि निश्चित रूप से जमा करें अन्यथा उन पर विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी एवं उनके वेतन से एक-मुश्त में कटौती कर ली जायेगी । उन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि जिला मुख्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मचारों/संस्थाओं को नोटिश निर्गत करें कि दिनांक 21-6-2001 को समाहरणालय के सभा कक्ष में आयोजित बैठक में भाग लें ताकि अग्रिम राशि के समायोजन हेतु उन्हें निर्देश दिया जा सके/उत्प्रेरित किया जा सके । जो पदाधिकारी/कर्मचारी स्थानान्तरण के फलस्वरूप जिला से बाहर चले गये हैं, उन्हें उनके विभागीय प्रधान के माध्यम से नोटिश निर्गत किया जाय । अग्रिमधारियों की सूची एनेक्सचर-1 पर संलग्न है ।

7- चेक बुक पंजी

चेक बुक पंजी का अवलोकन किया । बहुत-सा चेक हस्ताक्षरित पड़े हुए हैं । प्रभारी उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि चेक प्राप्ति हेतु संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया गया है परन्तु वे उपस्थित नहीं हो रहे हैं । प्रभारी उप निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि जिन व्यक्तियों का चेक हस्ताक्षरित है, उन्हें समाचार पत्र के माध्यम से सूचित किया जाये कि वे अपना चेक एक सप्ताह के अन्दर आकर ले जायं अन्यथा उसे रद्दकर राशि कोषागार में जमा कर दी जायेगी ।

प्रभारी उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि वर्ष 1991,95,96,98 एवं 99 में हुए लोक सभा/विधान सभा निर्वाचन के अवसर पर/प्रयुक्त वाहनों को मुआवजा का भुगतान बहुत से वाहन मालिकों को करना है । प्रभारी उप निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि जिन वाहन मालिकों को मुआवजा का भुगतान करना है, उसकी सूची एक सप्ताह के अन्दर उपस्थापित करें एवं दैनिक समाचार-पत्र में प्रेस-विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित करें कि निर्धारित तिथि को उपस्थित होकर अपना चेक प्राप्त कर लें अन्यथा उपस्थित नहीं होने पर उनके भुगतान का दावा रद्द कर दिया जायेगा एवं प्राप्त राशि को कोषागार में जमा कर दिया जायगा ।

8- सामान्य

लेखा के संधारण में और सुधार की आवश्यकता है । प्रभारी उप समाहर्त्ता अपेक्षित सुधार लाने हेतु समुचित कार्रवाई करें ।

ह0/- डा0 बी0 राजेन्दर,
जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

ज्ञाप संख्या 760 /सामान्य मधुबनी, दिनांक 26 जून, 2001 ई0 ।

प्रतिलिपि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि वित्त आयुक्त, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जिला निर्वाचन/प्रभारी उप निर्वाचन पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

BRajendar 23.7.2001
जिला पदाधिकारी, मधुबनी ।

जिला निर्वाचन नजारत से लिये गये अस्थायी अग्रिम के बड़े बकायेदारों की सूची

क्रमांक	नाम एवं पदनाम	प्रयोजन	तिथि	राशि
1-	आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी	-	9-4-84	8,464=00
2-	तदैव	सूखा भोजन हेतु	20-11-89	20,000=00
3-	तदैव	से0नि0पु0 केभुगतान हेतु	29-11-89	30,000=00
4-	तदैव	यात्रा-भत्ता भुगतान हेतु	21-5-91	20,000=00
5-	कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण प्रमण्डल, मधुबनी	वा0उ0वि0 के समतल हेतु	28-11-89	36,600=00
6-	श्री उपेन्द्र झा, प्रा0अ0नि0, आरक्षी केन्द्र, मधुबनी	बोकारो जाने हेतु	7-5-91	48,371=45
7-	श्री धरनीधर झा, विशेष भूअर्जन पदाधिकारी, सकरी	धनबाद से वाहन लाने हेतु	17-5-91	60,000=00
8-	मे0 देवेन्द्र डीजल सर्विस, खुटौना	ईंधन आपूर्ति हेतु	19-5-91	13,113=45
9-	मे0 लक्ष्मी महतो रामचन्द्र प्रसाद, सकरी	तदैव	19-5-91	22,774=75
10-	मे0 कन्हैया लाल इन्टर प्राईजेज, फुलपरास	तदैव	19-5-91	20,000=00
11-	श्री गणेश पाडेय, सहा0प्रबन्धक, रा0बा0नि0, मधुबनी	सीतामढ़ी से वाहन लाने	20-5-91	20,000=00
12-	श्री आर0 एन0 लाल, आ0नि0, पण्डौल	मोतिहारी से वाहन लाने	20-5-91	19,182=60
13-	मिथिला ऑटो सेन्टर, मधुबनी	ईंधन आपूर्ति हेतु	20-5-91	15,000=00
14-	गौरी शंकर बद्री नारायण, सकरी	तदैव	20-5-91	20,000=00
15-	मे0 एम0एल0 गुप्ता एण्ड सन्स, जयनगर	तदैव	21-5-91	15,564=10
16-	एस0एन0प्रसाद एण्ड को0 झंझारपुर	तदैव	5-6-91	25,000=00
17-	श्री डोमन दास, प्र0आ0पदा0, पण्डौल	मोतिहारी से वाहन लाने	7-6-91	1,05,080=00
18-	श्री यदुवंश सिंह, आ0नि0	सीतामढ़ी से वाहन हेतु	8-6-91	23,997=50
19-	श्री राम नारायण ठाकुर, सहायक, अनु0कार्या0, बेनीपट्टी	छीटा खरीदने हेतु	15-6-91	10,000=00
20-	श्री जुनैद आलम, प्रो0 शबनम टेंट हाउस दरभंगा	टेंट, सामियाना हेतु	12-12-91	25,000=00
21-	मो0 कासीम, प्रो0 नेशनल टेंट हाउस, दरभंगा	तदैव	12-12-91	25,000=00
22-	श्री फगुनी महतो, प्रधान सहायक, जिला कल्याण (सेवानिवृत)	वाहन के मुआवजा भुग0	19-5-91 20-5-91 21-5-91	1,64,000=00
23-	लोकप्रिय प्रिंटिंग प्रेस, मधुबनी	छपाई कार्य हेतु	7-2-95	14,440=00

24- श्री चन्द्र शेखर ठाकुर, मधुबनी	पूर्णिया जाने हेतु	19-2-95	13,500=00
25- ओंकारमल सत्य नारायण, घोघरडीहा	ईंधन आपूर्ति हेतु	21-2-95	12,484=10
26- केदार प्रसाद, कोषागार पदाधिकारी, मधुबनी	गया से मतपत्र लाने हेतु	22-2-95	44,439=80
27- श्री राजेश कुमार, कोऑर्डिनेटर	कैसेट खरीदने हेतु	25-2-95	10,000=00
28- श्री राम नारायण ठाकुर, सहायक अनु०कार्या०, बेनीपट्टी	वाहन अग्रिम भुगतान हेतु	28-2-95	25,950=00
29- श्री भीम प्रसाद, अंचल अधिकारी, पण्डौल	अररिया से वाहन लाने हेतु	22-3-95	94,528=00
30- श्री रघुनाथ प्रसाद ठाकुर, प्र०आ०पदा०,	किशनगंज से वाहन लाने हेतु	22-3-95	31,066=25
31- श्री सुनील कुमार झा, क०अभि०, राजनगर प्रखण्ड	वाहन लाने हेतु	20-3-95	50,500=00
32- श्री उपेन्द्र नारायण पाण्डेय, क०अभि०, जयनगर प्रखण्ड	पूर्णिया से वाहन लाने हेतु	20-3-95	50,000=00
33- अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मधुबनी	यात्रा-भत्ता वितरण हेतु	22-3-95	3,00,000=00
34- अनुमण्डल पदाधिकारी, फुलपरास	तदैव	22-3-95	1,50,000=00
35- ओंकारमल सत्यनारायण, घोघरडीहा	ईंधन आपूर्ति हेतु	24-3-95	20,000=00
36- विकास प्रिंटिंग प्रेस, मधुबनी	छपाई कार्य हेतु	15-4-95	22,694=00
37- गीता प्रिंटिंग प्रेस, पण्डौल	तदैव	18-4-95	27,230=00
38- मिलन ऑटो मोबाईल्स भटगामा, राजनगर	ईंधन आपूर्ति हेतु	24-4-95	10,000=00
39- कार्यपालक अभियन्ता, एन०आर०ई०पी०, मधुबनी	बज्रगृह निर्माण हेतु	12से20-4-96-97	91,800=00
40- कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वा०प्र०, मधुबनी	चापाकल निर्माण हेतु	17-4-96	50,000=00
41- श्री पी०के०शरण, वाणिज्यकर पदाधिकारी, मधुबनी	गया से मतपत्र लाने हेतु	14-4-96	47,100=00
42- श्री राम नारायण ठाकुर, सहायक, अनु०कार्या०, बेनीपट्टी	विविध कार्य हेतु	-	48,000=00
43- श्री अवधेश प्रसाद, जिला अभियन्ता, जिला परिषद, मधुबनी	धनबाद से वाहन लाने हेतु	-	2,90,000=00
44- श्री उपेन्द्र नाथ पाण्डेय, कनीय अभियन्ता, प०को०प्र०, राज०	पूर्णिया से वाहन लाने हेतु	-	10,500=00
45- श्री विश्वनाथ ठाकुर, सहायक अभियन्ता, जिला परिषद	पलामू से वाहन लाने हेतु	24-4-96	10,000=00
46- श्री राम कृपाल यादव, पणन पदाधिकारी, मधुबनी	बोकारो से वाहन लाने हेतु	20-4-96	10,500=00
47- श्री प्रकाश रंजन महंथा, डी०आर०ई०ओ०, एन०आर०ई०पी०, मधु०	लेखन सामग्री हेतु	22-4-96	30,000=00
46- श्री अरुण कुमार झा, सहायक,	वाहन अग्रिम भुगतान हेतु	4-5-96	25,000=00
47- अपर समाहर्त्ता, दरभंगा-सह-सहा० निर्वाची पदा० 91जाले	मतगणना खर्च	6-5-96	30,000=00
48- श्री रामायण चौबे, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी	गीजर हेतु	24-1-98	20,000=00
49- तदैव	पर्यवेक्षक व्यय	24-1-98	3,000=00
50- श्री मनोज कुमार सिंह, स०नि०स०स०, बेनीपट्टी	पर्यवेक्षक व्यय	24-1-98	14,000=00

51-	श्री देवेन्द्र सिंह, स०नि०स०ह०स०, झंझारपुर	पर्यवेक्षक व्यय	24-1-98	9,000=00
52-	श्री पी०के०चौधरी, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, मधुबनी	छपरा से लेखन सामग्री क्रयहेतु	30-1-98	1,07,900=00
53-	श्री राकेश मोहन, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, रहिका	पर्यवेक्षक पर व्यय हेतु	-	5,000=00
54-	चित्रगुप्त डीजल, बसैठा	ईंधन आपूर्ति हेतु	-	20,000=00
55-	श्री अब्दुल कुद्दुस, लेखापाल, जिला परिषद, मधुबनी	वाहन लाने हेतु	-	54,500=00
56-	श्री शंकर यादव, सहायक, रहिका प्रखण्ड	हजारी बाग से वाहन लाने हेतु	-	1,90,000=00
57-	श्री निर्मल पासवान, सहायक जिला विकास, मधुबनी	अग्रिम वितरण हेतु		15,275=00
58-	श्री मनोज कुमार सिंह, स०नि०स०स०, बेनीपट्टी	पर्यवेक्षक पर व्यय	99 लोक सभा	29,000=00
59-	डा० अनवर हुसैन, कार्य०दण्डा०, जयनगर	कलकत्ता से मतपत्र लाने हेतु	तदेव	15,000=00
60-	श्री सुभाष चन्द्र झा, कार्य०दण्डा०, झंझारपुर	तदेव	तदेव	25,000=00
61-	श्री अजय कुमार वर्मा, सहायक पंचायत प्रशाखा, मधुबनी	अग्निशमन यंत्र, वाहन एवं पोलीथीन क्रय हेतु	तदेव	68,000=00
62-	श्री जयप्रकाश नारायण पाठक, कनीय अभियन्ता, पण्डौल	स्टेडियम में छाई भराई हेतु	तदेव	55,000=00
63-	श्री ऋषिकेश प्रसाद श्रीवास्तव, जिला कल्याण पदा०, मधुबनी	कलकत्ता जाने हेतु	तदेव	15,000=00
64-	श्री गणेश महतो, सहायक, जिला नीलामपत्र, मधुबनी	वाहन अग्रिम	तदेव	41,650=00
65-	श्री तेतर पासवान, प्रधान सहायक, जिला राजस्व, मधुबनी	अग्रिम वितरण	तदेव	29,120=00
66-	श्री रामेश्वर पासवान, सहायक, जिला राजस्व, मधुबनी	तदेव	तदेव	21,000=00
67-	श्री एस०एन०त्रिपाठी, जिला नियोजन पदा०, मधुबनी	कलकत्ता जाने हेतु	तदेव	32,000=00
68-	श्री अवध किशोर मोदी, निदेशक, रा०नि०कार्य०, मधुबनी	तदेव	वि०स०नि०2000	9,200=00
69-	श्री रजनी कान्त, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पण्डौल	तदेव	तदेव	8,000=00
70-	श्री पवन कुमार गुप्ता, अंचल अधिकारी, जयनगर	तदेव	तदेव	8,000=00
71-	श्री राजीव रंजन प्रभाकर, अंचल अधिकारी, हरलाखी	तदेव	तदेव	8,000=00
72-	श्री राजेश कुमार अंचल अधिकारी, लदनियाँ	तदेव	तदेव	8,000=00
73-	श्री नरसिंह प्रसाद, अंचल अधिकारी, अंधराठाढ़ी	तदेव	तदेव	8,000=00
74-	श्री ज्ञान शंकर दास, अंचल अधिकारी, मधेपुर	तदेव	तदेव	8,000=00
75-	श्री भरत कुमार झा, सहायक जिला स्थापना, मधुबनी	वाहन अग्रिम वितरण हेतु	तदेव	43,553=50
76-	जिला समादेष्टा, गृहरक्षावाहिनी, मधुबनी	गृहरक्षकों को भुगतान हेतु	तदेव	1,76,400=00
77-	श्री जय प्रकाश नारायण पाठक, कनीय अभियन्ता, पण्डौल	पर्यवेक्षक पर व्यय हेतु	तदेव	20,000=00

कुल :- 40,35,483=50

....